न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 13/2023

1. अंक्षित बिश्नोई पुत्र श्री सत्यदेव उर्फ सतदेव नाबालिग कुदरतीवली बहन अंजली पुत्री सत्यदेव उर्फ सतदेव पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजरानी पत्नी सत्यदेव उर्फ सतदेव जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई गुमजाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सत्यदेव उर्फ सतदेव पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 13 साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. संदेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर का दिनांक 29.05.2018 का जिसकी रूह से अपीलांट नाबालिंग का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के नाम दर्ज किया गया।

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.मोहन लाल माहर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3
3.पूनम वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ख्या 1 व 2

:: आदेश :: दिनांक :–30.10.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट नाबालिग है जिसके नाम चक 2 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/28 के मुरब्बा नम्बर 54,55,58,59 में कुल 7.7160 हैक्टर नहरी में से 0.633 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज था। अपीलांट नाबालिग है। अपीलांट के अधिकारों की रक्षा के लिए अपीलांट की बहन उपरोक्त अपील पेश करके अपने भाई के अधिकारों की रक्षा हेतु अपील पेश कर रही है। अपीलांट नाबालिग होने की वजह से अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है। वह अन्य व्यक्ति को जमीन का उपहार कर रहे है। जब तक अपीलांट नाबालिग है तब तक उसके नाम की सम्पति अन्य किसी को बेचान, उपहार–पत्र नहीं किया जा सकता है, उसकी सम्पति आगे बेचान करने के लिए जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर से स्वीकृति लेने के बाद ही रकबा मुन्तकिल व उपहार पत्र कर सकता है, अगर जिलाधीश न्यायालय की स्वीकृति नहीं है तो उस सम्पति का उपहार पत्र नहीं किया जा सकता। वह उपहार पत्र शुरू से ही शून्य है तथा अपीलांट के अधिकारों पर बेअसर है। रेस्पोडेंटान संख्या 1 व 2 द्वारा तमाम तथ्यों को छिपाकर अपीलांट के रकबा की फर्जी उपहार पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या –3 के नाम लिख दिया है

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

तथा उसने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दिनांक 29.05.2018 को इन्तकाल अपने नाम करवा लिया है जबकि नाबालिग व्यक्ति की जमीन का इन्तकाल कानूनन नहीं किया जा सकता है मगर विधिविरूद्व तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.05.2018 को इन्तकाल दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी दो रोज पहले हुई, जब पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या–3 द्वारा अपीलांट की भूमि का आगे बेचान करने लगा तो करीब चार रोज पहले जमीन खरीदने वाला गांव आया तो अपीलांट को पता चला कि जमीन तो मेरे भाई के नाम है लेकिन जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या–3 कैसे आगे बेचान कर रहा है, पता चलते ही अपीलांट ने तमाम रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि रेस्पोडेन्टान संख्या–1 व 2 द्वारा गलत तरीके से कोई उपहारपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के नाम करके उसके नाम धोखा से इन्तकाल करवा लिया है। दो रोज पहले इन्तकाल की जानकारी हुई तो इन्तकाल की नकल आदि ली। नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है जो इल्म से अपील अन्दर मियाद है तथा अपील निम्नलिखित बिन्दुओं पर पेश की जा रही है :–

1. यह कि हुक्म अदालत महतात का गैर कानूनी है दोबारा गौर मिसल के है।
2. यह कि अपीलांट के नाम चक 3 वाई तहसील श्रीगंगानगर के चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर पटवार हल्का 3 वाई खाता सख्या 27/28 मुरब्बा नम्बर 54,55,58,59 में कुल 7.7160 में से 0.633 हैक्टेयर रकबा अपीलांट के नाम रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तथा राजस्व रिकॉर्ड में यह रकबा नाबालिंग के नाम दर्ज है।
3. यह कि उपरोक्त रकबा नाबालिक के नाम होने की वजह से इस रकबा का बेचान करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है मगर उनके द्वारा बिना अधिकार के कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि अपीलांट को बलराम पुत्र कृष्ण लाल द्वारा दिनांक 30.04.2018 को बैयनामा अपीलांट के नाम किया गया था इस बैयनामें के आधार पर अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दर्ज किया गया था यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के नाम जो रकबा दर्ज किया गया है वह बतौर नाबालिग है। कुदरतीवली माता श्रीमती रानी पत्नी सत्यदेव के नाम दर्ज है लेकिन अपीलांट की माता व पिता को जमीन आगे किसी को देने का अधिकार नहीं है जब तक अपीलांट बालिग नहीं हो जाता तब तक वह जमीन किसी को भी नहीं दी जा सकती। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 को इस बात की जानकारी थी कि रकबा अपीलांट नाबालिंग के नाम दर्ज है लेकिन उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या–3 द्वारा उपहार पत्र दर्ज करवा लिया जो किसी भी नियम के तहत उपहार पत्र नहीं किया जा सकता, ऐसा उपहार पत्र शुरू से ही शून्य है। शून्य दस्तावेज के आधार पर इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

6. यह कि हिन्दु विधि अनुसार कोई भी नाबालिग की सम्पति उपहार करने तथा बेचान करने के लिए जिलाधीश न्यायालय की अनुमति लेकर ही बेचान किया जा सकता है बिना अनुमति के बेचान नहीं किया जा सकता लेकिन जिलाधीश द्वारा अनुमति दी जाती है उसमें भी यह शर्ते लगायी जाती है कि जितनी भी जमीन नाबालिग की बेचान की जावेगी उतने रूपयों की जमीन उस नाबालिग केनाम दर्ज करवानी पड़ती है उसके बाद ही उसका बेचान किया जा सकता है। मगर बिना अनुमति के बिना विधिक प्रयक्रिया अपनाये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करके कानूनी भूल की है इसिलए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
7. यह कि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही अपीलांट को सुना गया, बिना सुने ही आदेश पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
8. यह कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आदेश करने से पूर्व ना तो मौका की रिपोर्ट ली गयी और ना ही किसी नियम का पालन किया गया। बिना नियम का पालना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
9. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी की नकल थी जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया था कि रकबा नाबालिग के नाम है तथा इस बात की भी जानकारी थी कि नाबालिग के रकबा का उपहार पत्र नहीं हो सकता है जब उपहार पत्र ही विधिविरूद्व था तो कानूनन इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता था लेकिन इसके बावजूद भी बिना किसी आधार पर इन्तकाल दर्ज करके कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
10. यह कि अपीलांट अंक्षित बिश्नोई की बहन है तथा वह बालिग है क्योंकि अंक्षित के माता–पिता दोनो ही उसके हित में ना होकर उसकी सम्पति को आगे खुर्द बुर्द कर रहे है क्योंकि अपीलांट अंक्षित की बहन होने के नाते वह सरंक्षक के रूप में उसे अपील करने का अधिकार है इसलिए अपीलांट नाबालिग के हित में अपील पेश कर रही है
11. यह कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.05.2018 को आदेश पारित किया है कि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया। हांलाकि नियम के तहत 45 दिन तक इन्तकाल का अधिकार ग्राम पंचायत को था। 45 दिन के बाद ही तहसीलदार को इन्तकाल करने की शाक्तियां है चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल नहीं किया मगर तहसीलदार द्वारा छिपकर इन्तकाल तस्दीक किया है इस इन्तकाल की जानकारी अपीलांट अंजली को पता चला तो पता चलते ही जमाबन्दी की नकल दिनांक 22.03.2023 को नकल ली। नकल लेते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रही है जो इल्म से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर दिनांक 29.05.2018 का आदेश निरस्त किया जाने का आदेश पारित किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के इन्तकाल 29.05.2018 की अपील लगभग 4 वर्ष 9 माह 28 दिन बाद की गई है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के पैरा संख्या 4 में लिखा है कि प्रार्थी अंक्षित बिश्नोई को दिनांक 22.03.2023 को तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश की जानकारी हुई , जानकारी होते ही अपील पेश की जा रही है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि का अन्तरण पंजीबद्व उपहार पत्र के किया गयाथा इसलिये अपीलार्थी को नोटिस दिया जाना कतई आवश्यकता नहीं थी। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलार्थी के माता–पिता है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 माता–पिता होने के नाते यह कहना कि उसे आदेश की जानकारी नहीं थी, उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आदेश की जानकारी कब , किससे व कैसे हुई कोई कथन नहीं किया गया है। अतः प्रथमदृष्टया अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें। अधीनस्थ न्यायलाय तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.05.2018 को इन्तकाल तस्दीक किया गया है वह गिफट डीड के आधार पर किया गया है। गिफट डीड को कभी चैलेज नहीं किया गया, जहां तक कब्जे का सम्बन्ध में कब्जे के सम्बन्ध में गिफट डीड वर्णन किया हुआ है। गिफट डीड के पैज संख्या 02 में कब्जा दिया गया के सम्बन्ध में लिखा हुआ है। एल.आर.एक्ट की धारा 133(ग) इन्तकाल दर्ज करते समय कब्जे की जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट मियाद से बाहर होने एवं गिफट डीड जिसके आधार पर इन्तकाल दर्ज किया गया है को किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेज नहीं किये जाने पर उक्त गिफट डीड वर्तमान में स्टैण्ड़ है के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरे पेश की है:–

1. आर.आर.टी 2020 (2) पेज– 828 से 830

> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 10–स्पेशल अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना–पत्र–विकय–पत्र की वैधता व विधिमान्यता रेफरेन्स कार्यवाही में परीक्षित नहीं की जा सकती– नामान्तकरण निरस्त नही किया जा सकता जब तक कि विकय–पत्र निरस्त न हो–रेफरेन्स में रेकॉडेड खातेदार को संयोजित न करना विधिक तौर पर दोषपूर्ण है–स्पेशल अपील का दायरा बहुत सीमित है–निर्णीत, अनुमति प्रदान करने हेतु मामला नहीं बनता है।
> Imp. Poing:- Leglity and validity of sale deed cannot be examined in reference proceedings.
> B.Mutation connot be cancelled unless the sale Ideedl is cancelled

2. आर.आर.टी. 2018–19 पेज– 581 से 584

> राजस्थान भू राजस्व अधिनियम , 1956–धारा 135 व 84– अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया–कलेक्टर ने तहसीलदार का प्रकरण प्रतिप्रेषित किया–सम्भागीय आयुक्त ने अपील खारिज की–निगरानी–प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 से रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा 3.12.2004 को भूमि कय की–अप्रार्थी संख्या 2 को नामान्तरकरण की जानकारी–अपील कालबाधित थी–मियाद का प्रश्न निर्णीत किये बिना अपील पोषणीय नही थी– अप्रार्थीगण इतने लम्बे समय बाद किसी अनुतोष के हकदार नहीं थे– सरसरी कार्यवाही द्वारा खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते–अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 नियमित वाद पेश करने हेतु स्वतन्त्र थे– निर्णीत, आदेश अपास्त किये तथा सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी का आदेश पुष्ट किया।
> B.Withouot deciding the question of limitation, appeal cannot be entertained

3. आर.आर.टी 2018 (2) पेज– 1552 से 1555

> राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135–नामान्तरकरण खारिज करने हेतु अपील पेश की–मियाद बाहर होने से अपील खारिज की तथास अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा आदेश पुष्ट यिका गया–मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र में सन्तोषप्रद कारण नहीं दिये–रजिस्टर्ड विकय–पत्र जब तक सिविल कोर्ट द्वारा निरस्त न हो, यह वैध माना जायेगा–अधिकार व स्वत्व नामान्तकरण कार्यवाही में निर्णीत नहीं किये जा सकते–निर्णीत निगरानियां गुणावगुणहीन है व खारिज की।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट नाबालिग है जिसके नाम चक 2 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/28 के मुरब्बा नम्बर 54,55,58,59 में कुल 7.7160 हैक्टर नहरी में से 0.633 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज था। अपीलांट के अधिकारों की रक्षा के लिए अपीलांट की बहन उपरोक्त अपील पेश करके अपने भाई के अधिकारों की रक्षा हेतु अपील पेश कर रही है। अपीलांट नाबालिग होने की वजह से अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट नाबालिग है तब तक उसके नाम की सम्पति अन्य किसी को बेचान, उपहार–पत्र नहीं किया जा सकता है, उसकी सम्पति आगे बेचान करने के लिए जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर से स्वीकृति लेने के बाद ही रकबा मुन्तकिल व उपहार पत्र कर सकता है, अगर जिलाधीश न्यायालय की स्वीकृति नहीं है तो उस सम्पति का उपहार पत्र नहीं किया जा सकता। वह उपहार पत्र शुरू से ही शून्य है। रेस्पोडेंटान संख्या 1 व 2 द्वारा तमाम तथ्यों को छिपाकर अपीलांट के रकबा का फर्जी उपहार पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या –3 के नाम लिख दिया है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 29.05.2018 को इन्तकाल अपने नाम करवा लिया है जबकि नाबालिग व्यक्ति की जमीन का इन्तकाल कानूनन नहीं हो सकता है। बलराम पुत्र कृष्ण लाल द्वारा दिनांक 30.04.2018 को बैयनामा अपीलांट के नाम किया गया था इस बैयनामें के आधार पर अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दर्ज किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 को इस बात की जानकारी थी कि रकबा अपीलांट नाबालिंग के नाम दर्ज है लेकिन उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या–3 द्वारा उपहार पत्र दर्ज करवा लिया, ऐसा उपहार पत्र शुरू से ही शून्य है। शून्य दस्तावेज के आधार पर इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता। हिन्दु विधि अनुसार नाबालिग की सम्पति उपहार करने तथा बेचान करने के लिए जिलाधीश न्यायालय की अनुमति लेकर ही बेचान किया जा सकता है बिना अनुमति के बेचान नहीं किया जा सकता। जिलाधीश न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाती है तो उसमें भी यह शर्ते लगायी जाती है कि जितनी भी जमीन नाबालिग की बेचान की जावेगी उतने रूपयों की जमीन उस नाबालिग के नाम दर्ज करवायेगा, उसके बाद ही उसका बेचान किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा द्वारा दानपात्र दिनांक 21.05.2018 को किया गया, उक्त दानपात्र के आधार पर दिनांक 29.05.2018 को तहसीलदार द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किया गया जबकि 45 दिन तक इन्तकाल स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 378 दिनांक 29.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस निम्नानुसार नजीरें पेश की है :–

1. डीएनजे (रेवेन्यू) 2022(2) पेज– 1599 से 1602
2. डीएनजे (रेवेन्यू) 2020 पेज– 185 से 187
3. डीएनजे (रेवेन्यू) 2020 पेज– 155 से 126
4. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 धारा 11

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांट द्वारा अपील करीब 4 वर्ष 9 माह 28 दिन बाद पेश की गई है,। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसमें अपीलांट द्वारा देरी का कारण इन्तकाल की जानकारी प्रार्थी को प्राप्त हुई ,जानकारी प्राप्त होते ही जमाबन्दी की नकल दिनांक 22.03.2023 को नकल ली। नकल लेते ही अपील पेश की गई अंकित किया है, जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि आदेश की जानकारी अपीलांट को कब, किससे व कैसे हुई इसके बारे में प्रार्थी ने कोई कथन नहीं किया गया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें। अपील का निस्तारण मियाद के बिन्दु पर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील का निस्तारण पूर्ण गुणावगुण पर किया जाना उचित है। अपीलार्थी एक नाबालिग है जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है ''क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपने इन्तकाल संख्या 378 दिनांक 29.05.2018 में यह अंकित किया है कि अक्षित बिश्नोई पुत्र सत्यदेव उर्फ सतदेव .633 हैक्टर नाबालिग''। यहां अपीलांट को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह नाबालिग है या नहीं ? नाबालिग की सम्पति को बैचान करने हेतु जिलाधीश न्यायालय की अनुमति लेकर ही बेचान किया जा सकता है बिना अनुमति के बेचान नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्टस द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उनके द्वारा जिलाधीश न्यायालय की कोई अनुमति ली गई हो। The Hindu Minority And Guardianship Act, 1956 Act 32 of 1956 के अनुसार कोई भी सरंक्षक नाबालिग की सम्पति का बेचान बिना सक्षम न्यायालय की स्वीकृति के नही कर सकता है।

The Hindu Minority And Guardianship Act, 1956 Act 32 of 1956

> 11-De facto guardian not to deal with minor's property:-
> After the commencement of this Act, no person shall be entitled to dispose of , or deal with, the property of a Hindu minor merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor

अतः उक्त बेचान अपीलांट अक्षित बिश्नोई नाबालिग की सम्पति का बेचान बिना जिलाधीश न्यायालय की अनुमति के किया जाना पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.2018 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 378 दिनांक 29.05.2018 स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर